

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०-४(मु०) रा० यो०-०७-२०/२०२३ - ५२४४
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- १०/१०/२०२३

संजय दूबे, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय :— योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103 ग्राम विकास—राज्य योजना—उपशीर्ष—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएँ (नाबाड्ड ऋण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के सम्पत्तचक प्रखंड के अधीन चैनपुर के पास अविनाश जी के खटाल से आनन्द टोला से पंचायत भवन चिपुरा भाया विशेष स्कॉट स्कुल तक पथ निर्माण कार्य योजना जिसकी लम्बाई 1.700 कि० मी० हेतु कुल राशि रु० 197.917 लाख (एक करोड़ संतानबे लाख एकानबे हजार सात सौ रु०) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103 ग्राम विकास—राज्य योजना—उपशीर्ष—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएँ (नाबाड्ड ऋण सम्पोषित योजना)— उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के सम्पत्तचक प्रखंड के अधीन चैनपुर के पास अविनाश जी के खटाल से आनन्द टोला से पंचायत भवन चिपुरा भाया विशेष स्कॉट स्कुल तक पथ निर्माण कार्य योजना जिसकी लम्बाई 1.700 कि० मी० हेतु कुल राशि रु० 197.917 लाख (एक करोड़ संतानबे लाख एकानबे हजार सात सौ रु०) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक मु० अ०-४ (मु०) नाबाड्ड—०३—२६३/२०१७—२४ दिनांक ०२.०१.२०१८ के द्वारा १.५० कि० मी० निर्माण हेतु कुल रु० ७८.२८७ लाख रु० की लागत पर दी गयी थी।
2. इस योजना को वित्तीय वर्ष २०२३—२४ में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना इस योजना के कार्य संपादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. योजना का क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103 ग्राम विकास—राज्य योजना विषय शीर्ष—५३०१ उपशीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएँ (नाबाड्ड ऋण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड—३७—४५१५००१०३०१०५ है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२३—२४ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103 ग्राम विकास—राज्य योजना विषय शीर्ष—५३०१ उपशीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएँ (नाबाड्ड ऋण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२३—२४ में ९००.०० करोड़ रु० का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के १० तारीख तक निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल पटना एवं मुख्य अभियंता—१, पटना के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त इस योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०— मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०७-२०/२०२३ के पृष्ठ सं०-११/टि० पर दिनांक २१.०९.२०२३ को प्राप्त है।

४
१०/१०/२०२३

10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता, (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं के अनुरूप क्रियान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं०-३७५८ दिनांक ३१.०५.२०१७ में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु०अ०-४(मु०) रा० यो०-०७-२०/२०२३ के पृष्ठ संख्या- १३/टि० पर दिनांक ५/१०/२०२३ को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

विश्वासभाजन

१०/१०/२०२३

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०-४(मु०) रा० यो०-०७-२०/२०२३ - ५२४४ /पटना, दिनांक- १०/१०/२०२३
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०/१०/२०२३

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०-४(मु०) रा० यो०-०७-२०/२०२३ - ५२४४ /पटना, दिनांक- १०/१०/२०२३
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०/१०/२०२३

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०-४(मु०) रा० यो०-०७-२०/२०२३ - ५२४४ /पटना, दिनांक- १०/१०/२०२३
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव-सह-इम्पावर्ड ऑफिसर, ब्राडा/मुख्य अभियंता-१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु०अ०-४ (मु०) ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कॉम्प्लेक्स, पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना/आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०/१०/२०२३

विशेष सचिव

Bhokhar

g